रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2012/फाल्गुन 8, 1933
No. 300] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2012/PHALGUNA 8, 1933

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2012

का.आ. 339(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौवां संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(1) प्रथम अनुसूची में, "7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,

"(iii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग" उप-शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।";

(2) द्वितीय अनुसूची में,-

(क) "संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ग. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग" उप-शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ग. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।";

(ख) "पर्यावरण और वन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 16 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"16. संघ राज्य-क्षेत्रों में वन और वन प्रशासन से संबंधित सभी मामले।";

(ग) "गृह मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ख. राज्य विभाग" उप-शीर्षक के अधीन,-

(i) प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"9. विधान मण्डल के बिना संघ राज्य क्षेत्र:

राज्य सूची और समवर्ती सूची में प्रगणित सभी मामले जहां तक कोई ऐसा मामला संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू है, सिवाय सभी ऐसे मामलों के जिन्हें इन नियमों के अधीन भारत सरकार के किसी मंत्रालय अथवा विभाग को विनिर्दिष्टतः सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत अंदमान और निकोबार द्वीप- समूहों के संबंध में शिक्षा, सड़क और उन पर पुल संकर्म और पारघाट भी हैं।";

(ii) प्रविष्टि 16 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"17. सड़कों और उन पर पुल संकर्मों और पारघाटों को छोड़कर, असम के स्वायतशासी जिलों से संबद्ध मामले।

18. संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के लिए राज्यों के राज्यपालों द्वारा बनाए गए विनियम।";

(घ) "जनजातीय कार्य मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"6. (क) अनुसूचित क्षेत्र;

(ख) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्यों के राज्यपालों द्वारा बनाए गए विनियम।"।

प्रतिभा देवीसिंह पाटील
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2011-मंत्रि.]

सोम दत्त शर्मा, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2012

S.O. 339(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundredth Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) In THE FIRST SCHEDULE, under the heading "7. Ministry of Communications and Information Technology (Sanchar aur Soochana Praudyogiki Mantralaya)", for the sub-heading "(iii) Department of Information Technology (Soochana Praudyogiki Vibhag)", the following sub-heading shall be substituted, namely:-

"(iii) Department of Electronics and Information Technology (Electroniki aur Soochana Praudyogiki Vibhag).";

(2) In THE SECOND SCHEDULE,-

(A) under the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SANCHAR AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)", for the sub-heading "C. DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY (SOOCHANA PRAUDYOGIKI VIBHAG)", the following sub-heading shall be substituted, namely:-

"C. DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (ELECTRONIKI AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI VIBHAG).";

(B) under the heading "MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA)", for entry 16, the following entry shall be substituted, namely:-

"16. All matters relating to Forest and Forest Administration in the Union territories.";

(C) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)", under the sub-heading " B. DEPARTMENT OF STATES (RAJYA VIBHAG)",-

(i) for entry 9, the following entry shall be substituted, namely:-

"9. Union territories without legislature:

All matters enumerated in the State List and the Concurrent List in so far as any such matter concerns the Union territories except all such matters as have, under these Rules, been specifically assigned to any other Ministry or Department of the Government of India including education, road and bridges works thereon and ferries in respect of Andaman and Nicobar Islands.";

(ii) after entry 16, the following entries shall be inserted, namely:-

"17. Matters relating to autonomous districts of Assam excluding roads and bridge works and ferries thereon.

18. Regulations framed by the Governors of States for Tribal Areas specified in the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.";

(D) under the heading "MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS (JANJATIYA KARYA MANTRALAYA)", for entry 6, the following entry shall be substituted, namely:-

"6. (a) Scheduled Areas;

(b) regulations framed by the Governors of States for Scheduled Areas.".

PRATIBHA DEVISINGH PATIL
President

[F. No. 1/22/1/2011-Cab.]
S. D. SHARMA, Director

6195/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054